संख्या- 30/2020/1651 /77-6-2020-एल.सी.-03/2018

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

औद्योगिक विकास विभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 17 सितम्बर, 2020**

विषय- उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथासंशोधित) के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 तथा उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (प्रथम संशोधन)-2019 क्रमश: अधिसूचना संख्या- 2792/77-6-18-एल.सी. 03/18, दिनांक 16 जुलाई, 2018 तथा अधिसूचना संख्या- 976/ 77-6-2019-एल.सी. 03/2018, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 निर्गत की गयी है। उक्त नीति के उद्देश्य निम्नवत् हैं:-

I. उत्तर प्रदेश को रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र हेतु सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में स्थापित करना।
II. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्रों के लिए निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन।
III. बाजार के अंतर को कम करने तथा रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु राज्य में सहायक इकाइयों को उनसे जोड़ना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

IV. एक्सप्रेसवे व समर्पित रक्षा/एयरोस्पेस गलियारों के संरेखित क्षेत्र में फलने-फूलने वाले औद्योगिक समूहों की स्थापना व उन्हे सहूलियत देना।

V. रक्षा क्षेत्र में निर्यातोन्मुख विनिर्माण आधार का विकास।

VI. एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण परियोजनाओं के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों (DPSUs)/ऑर्डिनेस फैक्टरी बोर्ड (OFB) को राज्य में आकर्षित कराना।

VII. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में आनुषंगिक/सहायक उद्योग को प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास।

VIII. रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना तथा निरंतर प्रौद्योगिकी उन्नयन सुनिश्चित करना।

IX. रक्षा व एयरोस्पेस के परिक्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहन व तकनीकि उन्नयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आई.आई.टी. कानपुर व बी0एच0यू0 वाराणसी व अन्य स्थानों पर तकनीकी सुगमता केन्द्र की स्थापना करना जिनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र व रक्षा/एयरोस्पेस उद्योग को सहायता उपलब्ध कराना होगा।

X. रक्षा व एयरोस्पेस व सामरिक ज्ञान क्षेत्र में कौशल विकास को विकसित करना तथा समर्थन के साथ-साथ प्रोत्साहित करना।

XI. भारत में नवीन प्रोद्भूत आभार/कर्तव्य (offset obligations) हेतु नामित कम्पनियों/संस्थानों के सकल निवेश के सार्थक हिस्से के व्यापार को प्रदेश में आकर्षित करना।

XII. रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण पार्क/समूह हेतु हवाई मार्ग सुविधा/सड़क/रेल यातायात को समृद्ध करने की सुविधा प्रदान किया जाना।

XIII. प्रदेश में कार्यरत एम.एस.एम.ई. इकाईयों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से तथा प्रदेश में नई एम.एस.एम.ई. इकाईयों को आकर्षित करने के उद्देश्य से Common Facility centers (CFCs) की स्थापना की जाएगी जो सार्वभौम सुविधाओं तथा उत्पादक, डिजाईन, ज्ञान क्षेत्र का अन्वेषण प्रोटोटाइपिंग, समेकित विनिर्माण अन्वेषण व विकास केन्द्र व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना को सहूलियत प्रदान करें, साथ ही प्रशिक्षण केन्द्र, प्रशिक्षण व प्रमाणन की सुविधा एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र को उपलब्ध कराना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त नीति निम्न शर्तों के अधीन लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. **नीति**

नीति शब्द इस दस्तावेज में उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथा संशोधित) का वर्णन करता है।

2. **क्रियान्वयन की अवधि**

दिशा निर्देश तब तक लागू रहेगा जब तक कि इस दिशा निर्देश में राज्य सरकार द्वारा संशोधन नहीं किया जाता है।

3. नोडल संस्था का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण" (यूपीडा) से है।

4. **उपयुक्तता**

4.1 "उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथा संशोधित)" के लिए दिशा निर्देश सभी इकाइयों पर लागू होंगे जैसा कि नीति के तहत परिभाषित किया गया है।

4.2 उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे (UPDIC) की नोड्स में झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, कानपुर, आगरा, लखनऊ और समय-समय पर GoUP द्वारा अधिसूचित किसी भी अतिरिक्त सम्मिलित/संशोधन शामिल हैं।

5. **परिभाषाएं**

5.1 निजी रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्क

निजी रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्क, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे (**UPDIC** के लिए बनाए गए उपनियमों द्वारा शासित होंगे।

5.2 एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट

एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे औद्योगिक अपशिष्ट जल को उसके पुनः उपयोग, पर्यावरण के लिए सुरक्षित निराकरण के लिए तैयार किया गया है।

5.3 अनुमोदन समिति

अनुमोदन हेतु निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है -

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5.3.1) रू. 200 करोड़ तक के औद्योगिक उपक्रमों हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक स्वीकृति समिति गठित की जाएगी जिसके सदस्य निम्नवत् होंगेः-

I. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

II. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति) वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

III. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति), न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

IV. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति), राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।

V. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति), सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।

VI. संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव।

VII. नोडल संस्था (यूपीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी-संयोजक।

समिति की बैठक में आवेदक उपक्रम के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किए जाएंगे, परन्तु उनकी अनुपस्थिति से स्वीकृति की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी।

बैठक की कार्यवाही के आधार पर संबंधित विभागों को स्वीकृति-पत्र/लेटर आफ कम्फर्ट का आलेख प्रसारित किया जाएगा, जिस पर संबंधित विभाग अपनी सहमति अंकित करेंगे। उक्त के पश्चात नोडल संस्था द्वारा पात्र औद्योगिक उपक्रमों को औपचारिक स्वीकृति-पत्र निर्गत किया जाएगा।

(5.3.2) रू. 200 करोड़ से ऊपर के निवेश करने वाले औद्योगिक उपक्रमों के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा सुविधाओं पर अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। इम्पावर्ड कमेटी में निम्नवत् सदस्य होंगेः-

I. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

II. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति), अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

III. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति), वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

IV. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति), न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

V. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति), राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।

VI. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति), सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।

VII. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति), नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

VIII. संबंधित विभागों के प्रतिनिधि जिनसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है।

IX. नोडल संस्था (यूपीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी-संयोजक

समिति की बैठक में प्रार्थी उपक्रमों के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किए जाएंगे।

मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन एवं आवश्यक शासनादेश निर्गत हो जाने के पश्चात् नोडल संस्था द्वारा पात्र औद्योगिक उपक्रमों को लेटर आफ कम्फर्ट जारी किया जाएगा।

6. सामान्य सुविधा केंद्र (सी0एफ0सी0) की स्थापना

आवेदक को परिकल्पित सामान्य सुविधा केंद्र (सी0एफ0सी0) में निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकारण (यूपीडा) के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगाः-

I. संबोधित क्षेत्र और प्रौद्योगिकी

II. सी0एफ0सी0 द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं

III. सस्टेनेबिलीटी मॉडल

IV. कौशल विकास, नवाचार और ऊष्मायन के बारे में विवरण, जो सी0एफ0सी0 के कार्यो से संबंधित हो।

यूपीडा द्वार प्राप्त आवेदन को राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बाद ही रक्षा मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति के पश्चात् नीति के अनुसार वितिय संसाधन उपलब्ध कराए जाएगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. प्रोत्साहन

7.1 स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण

नीति के अन्तर्गत पात्र औद्योगिक इकाइयों को भूमि के क्रय पर देय स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी तथा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा इस आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी।

उक्त छूट स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या -07/2020/803/94-स्टा0नि0-2-2020-700(9)2020, दिनांक 20 अगस्त 2020 के अन्तर्गत शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी।

7.2 पेटेंट लागत / गुणवत्ता प्रमाणन

(i) पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति

शुल्क प्रतिपूर्ति देने के लिए आवेदन पत्र पेटेंट प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर नोडल संस्था को प्रस्तुत किया जाना है।

(ii) गुणवत्ता प्रमाणन

गुणवत्ता प्रमाणन शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन प्रमाणन प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर नोडल संस्था को प्रस्तुत किया जाना है।

(iii) ट्रेडमार्क पंजीकरण

प्रमाणन प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर ट्रेडमार्क पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन नोडल संस्था प्रस्तुत किया जाना है।

7.3 परिवहन प्रभार पर छूट

7.3.1. प्लांट व मशीनरी के परिवहन पर

इसके अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन आयात और कमीशन के एक वर्ष के भीतर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना हैः-

(i) निर्यात लाइसेंस कॉपी (मशीनरी/ उपकरण आपूर्तिकर्ता से)

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंक के ऋण पत्र

(iii) बीमा का बिल

(iv) शिपमेंट का प्रमाण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(V) भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क और कस्टम ड्यूटी के लिए रसीद

(Vi) संबंधित अधिकारियों द्वारा उद्योग को आयात प्राधिकरण

(Vii) इंस्टालेशन और कमीशनिंग शेड्यूल

(Viii) हस्तांतरण के लिए या बिल की गई राशि के भुगतान को जारी करने का प्रमाण

7.3.2 तैयार उत्पादों का परिवहन-

इसके अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निर्यात कमीशन के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना है:-

(i) वैध निर्यात लाइसेंस

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण पत्र

(iii) बीमा कॉपी

(iv) लैंडिंग का बिल

(v) क्रेता द्वारा तैयार उत्पाद की शिपमेंट और प्राप्ति का बिल।

7.4 उत्प्रवाह उपचार संयंत्र (Effluent Treatment Plant-ETP) की स्थापना हेतु उपादान

उत्प्रवाह उपचार संयंत्र (Effluent Treatment Plant -ETP) की स्थापना हेतु उपादान प्राप्त करने हेतु आवेदक को भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया पर्यावरण अनुमति पत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमति पत्र नोडल संस्था को प्रस्तुत करना होगा।

7.5 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण उपादान

एंकर इकाइयों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का विवरण नोडल संस्था को प्रस्तुत करना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7.6 क्षमता विकास

लगे हुए कर्मियों के लिए परिभाषित कौशल विकास पाठ्यक्रम मूल्यांकन के लिए सैंक्शनिंग बॉडी को प्रस्तुत किया जाएगा।

7.6.1 प्रत्येक परिभाषित नौकरी के लिए कौशल मैट्रिक्स और उद्योग द्वारा अपनाई जा रही प्रौद्योगिकी के लिए इसकी प्रासंगिकता हर तिमाही में प्राप्तकर्ताओं द्वारा की गई प्रगति के साथ प्रस्तुत की जाएगी। कौशल विकास के लिए प्रदान किए गए 1 वर्ष के निर्धारित कार्यकाल के पूरा होने के बाद, उद्योग से अधिकृत समन्वयक द्वारा अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता केवल चालू वर्ष के लिए मान्य होगी और प्रोत्साहन तिमाही आधार पर वितरित किया जाएगा।

7.6.2 प्रशिक्षण की एक विस्तृत रिपोर्ट, और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षुओं का नाममात्र रोल प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

8. विविध

I. अन्य विभागों से संबंधित सुविधाओं हेतु बजट प्राविधान संबंधित विभागों द्वारा किए जाएंगे।

II. इस दिशा निर्देश के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूपों में किसी भी प्रकार के संशोधन/परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो इस प्रकार के संशोधनों के लिए औद्योगिक विकास विभाग सक्षम होंगे।

III. जब भी भविष्य में SPV की स्थापना की जाती है, तो UPEIDA द्वारा किए जा रहे कार्य, स्वचालित रूप से SPV को स्थानांतरित हो जाएंगे।

IV. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

आलोक कुमार

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 30/2020/1651(1)/77-6-2020-एल.सी.-03/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।

(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इनवेस्ट यू0पी0।

(6) प्रबंध निदेशक, पिकप।

(7) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर।

(8) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

(9) औद्योगिक विकास विभाग के समस्त अनुभाग

(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसंलग्नक I

<table>
<tr><th colspan="8">आवेदन करते समय आवेदक को सहायक दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="7">रक्षा कंपनी का नामः</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="7">रक्षा उत्पाद का नाम, जिसका निर्माण या आपूर्ति की जायेगी :</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="7">पंजीकृत पते का विवरणः</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="7">संपर्क विवरणः</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="7">कुल निवेश की जाने वाली राशि</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="7">a) एमएसएमई /औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम)
b) कंपनी के निगमन का प्रमाण पत्र
c) एसोसिएशन का ज्ञापन
d) एसोसिएशन का अनुच्छेद
e) पैन पंजीकरण
f) जीएसटी पंजीकरण</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">7</td><td colspan="7">a) निम्नलिखित प्रारूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाण पत्र</td><td></td></tr>
<tr><th>वर्ष (पिछले 03 वित्तीय वर्ष)</th><th>शेयर पूंजी का भुगतान</th><th>भंडार</th><th>कुल मूल्य</th><th>शुद्ध लाभ</th><th>कुल बिक्री</th><th>रक्षा क्षेत्र की वस्तुओं का कारोबार</th><td></td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2018-19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">b) ISOद्वारा प्रमाणित (यदि हो)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">c)उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारा में जमीन के लिए आवेदन करते समय कंपनी /फर्म को किसी भी राज्य/केंद्र सरकार के उपक्रम / अध्यादेश कारखाने / रक्षा मंत्रालय द्वारा निष्कासित / ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">d) आवेदन प्रस्ताव में प्रस्तावित उत्पादों के समान उत्पादों की आपूर्ति के लिए कार्य आदेश की प्रतिलिपि</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">e) आवेदक फर्म और प्रौद्योगिकी प्रदाता के बीच एम0ओ0यू0 की प्रतिलिपि</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="7">पूर्व में फर्म द्वारा आपूर्ति किए गए समान उत्पादों के कार्य आदेशों की प्रतिलिपि</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="7">प्लांट लेआउट और भूमि क्षेत्र के लिए औचित्य के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की प्रतिलिपि</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="7">उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति– 2018 (यथासंशोधित) के प्रस्तर</td><td></td></tr>
</table>

	2.5 के अन्तर्गत निवेश क्षेत्र में शामिल उत्पाद – (हां /नहीं) यदि हां तो उत्पाद उपरोक्त दिये गये प्रस्तर के किस क्रम संख्या में आता है			
11	नोड - भूमि के क्षेत्र की आवश्यकता:			
	<u>उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2018 (यथासंशोधित) का प्रस्तर– 3.3</u> a) रक्षा/एयरोस्पेस इकाई उत्पादों में सामग्री, उपकरण /उपस्कर विनियोजन इकाई उप–संयोजक व उपस्कर समाहित होंगे			
	b)निम्न मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना अनिवार्य होगा			
	i) रक्षा/एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि पूर्व में परिभाषित किया गया है, से संबंधित सामग्री/उपस्कर आपूर्ति की गयी हो।			
	ii) रक्षा/एयरोस्पेस जैसा कि पूर्व में परिभाषित किया जा चुका है, में वित्तीय अनुदान अथवा आपूर्ति आदेश प्राप्त किया गया हो।			
	iii) रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की प्रोद्भूत (offset) योजना के अन्तर्गत किसी भी विदेशी मूल उपस्कर निर्माता से मेमोरेन्डम ऑफ अन्डर स्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा आपूर्ति आदेश प्राप्त किया हो।			
	iv) सेना, नौसेना, वायुसेना/ पैरामिलेट्री अधिष्ठान, डी.आर. डी.ओ., डी.ओ.ए. अथवा डी.ओ.एस. के लिए संरचना अथवा विकास का कार्य किया हो,			
	v) भारतीय अथवा विदेशी मूल उपस्कर निर्माता के लिए परीक्षण अथवा प्रूफिंग सामग्री, उपकरण कलपुर्जे अवयव/संयोजन (Assembly)/उप–संयोजन (Sub-Assembly)/उपस्कर की आपूर्ति किसी भारतीय/विदेशी रक्षा/एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, में आपूर्ति किया हो			
12	**रक्षा तथा एयरोस्पेस के प्रकार**	**निवेश**	**प्रत्यक्ष रोजगार**	
	a) मेगा एंकर यूनिट निवेश	>=1000 करोड़	NIL	
	b) एंकर यूनिट निवेश			
	i) बुन्देलखण्ड	>= 200	या न्यूनतम 1000 नं0 प्रत्यक्ष रोजगार	
	ii) मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर, गाज़ियाबाद को छोड़कर)	>=300	या न्यूनतम 1500 नं0 प्रत्यक्ष रोजगार	
	iii) गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर	>= 400	या न्यूनतम 2000 नं0 प्रत्यक्ष रोजगार	
	c) वेंडर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई			
	d) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम0एस0एम0ई0) इकाईयां और सी0एफ0सी0			

	e) सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाई डी0पी0एस0यू/पी0एस0यू			
	f) अन्य			
	आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर दिनांक			

संलग्नक–II

आवेदक अंडरटेकिंग का विवरण		
1	औद्योगिक उपक्रम का नाम	
2	औद्योगिक उपक्रम का गठन	कृपया चिन्हित करें कि क्या सार्वजनिक एलटी/प्रा0 लिमिटेड/साझेदारी आदि
3	पंजीकृत कार्यालय का पता: दूरभाष: मोबाइल न0 ईमेल	
4	मालिक का नाम मोबाइल न0 ईमेल	
5	नामित सम्पर्क का विवरण नाम पद नाम दूरभाष: मोबाइल न0 ईमेल	
6	वी0ए0टी0 रजिस्ट्रेशन	
7	सी0एस0टी रजिस्ट्रेशन	
8	यूपीडा भूमि आवंटन पावती संख्या	

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक

अनुसंलग्नक III

[“उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 (यथा संशोधित)” के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश के प्रस्तर–7 के संबंध में]

प्रोत्साहन के लिये आवेदन		
	प्रोत्साहन के प्रकार	**हां/ना**
1	भूमि प्रोत्साहन	
2	A & D MSME इकाइयों को पूंजी निवेश सब्सिडी	
3	कौशल विकास के लिए प्रोत्साहन	
4	स्टाम्प ड्यूटी छूट	
5	लीज रेंट सब्सिडी	
6	पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति	
7	गुणवत्ता पंजीकरण	
8	ट्रेडमार्क पंजीकरण	
9	प्लांट और मशीनरी का परिवहन	
10	तैयार उत्पादों का परिवहन	
11	अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए सब्सिडी	
12	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण ग्रिड	
13	कौशल विकास के लिए सब्सिडी	
14	अनुसंधान और विकास और परीक्षण सुविधा के लिए सहायता	

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक

संलग्नक IV

[उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 (यथासंशोधित)–के कियान्वयन हेतु दिशानिर्देश के प्रस्तर 7.6 के संबंध में]

कुशल श्रमशक्तिका विवरण		
1	कर्मचारियों की कुल संख्या	
2	कौशल विकास के लिए आवश्यक लोगों की संख्या	
3	तकनीकी (6.2 में से)	
4	प्रबंधकीय (6.2 में से)	

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक